भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 433

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2021

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी

***433. डॉ. वीरेन्द्र कुमार:**
कुमारी प्रतिमा भौमिक:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पात्र एवं कोविड से प्रभावित एमएसएमई को ईसीएलजीएस के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एमएसएमई स्वामियों की संख्या कितनी है जो अपने वर्तमान ऋणों को नियमित करने एवं अपने कारोबार में पुन:निवेश करने के लिए संपत्तियां बेच रहे हैं;

(घ) क्या एमएसएमई को पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *433, जिसका उत्तर दिनांक 25.03.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ख) : आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) का कार्यान्वयन वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। डीएफएस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वैयक्तिक श्रेणियों में आने वाले लाभार्थियों की संख्या और उनकी राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-I और अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

सरकार ने एसएमए-0 तथा एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एमएसएमई सहित संबंधित व्यवसाय के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण की घोषणा की है। तथापि, सरकार ने दबावग्रस्त एमएसएमई अर्थात एसएमए-2 तथा एनपीए खातों वाले एमएसएमई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन हेतु पात्र हैं, के प्रमोटरों के लिए अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) की भी घोषणा की है। इस स्कीम में एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में अधीनस्थ ऋण सहयोग प्रदान करने हेतु सीजीएसएसडी के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज स्कीम/न्यास से प्राप्त होगी तथा शेष 10 प्रतिशत संबंधित प्रमोटर (प्रमोटरों) से प्राप्त होगी। इस स्कीम का उद्देश्य दबावग्रस्त एमएसएमई को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु उसकी पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन हेतु पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्द्ध इक्विटी के रूप में समावेशन हेतु दबावग्रस्त एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों के जरिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना है।

एमएसएमई मंत्रालय की अन्य जारी स्कीमों अर्थात गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के सृजन हेतु प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कोलेट्रल मुक्त ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), एमएसई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीएलसीएस-टीयूएस) तथा एमएसएमई के लिए वृद्धिपरक ऋण हेतु ब्याज में छूट संबंधी स्कीम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। पात्र इकाइयां इन स्कीमों के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

(ग) से (ङ) : मौजूदा ऋणों को नियमित करने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचने वाले एमएसएमई स्वामित्वधारकों तथा व्यवसाय में पुन: निवेश करने वाले ऐसे स्वामित्वधारकों की संख्या का ब्यौरा एमएसएमई मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है और अभी एमएसएमई को पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 433, जिसका उत्तर दिनांक 25.03.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- I

दिनांक 28.02.2021 तक की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वैयक्तिक श्रेणियों में स्कीम के अंतर्गत जारी की गई गारंटियों का ब्यौरा										
ऋण राशि का समूह	5 लाख रुपए तक		5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक		10 लाख रुपए से ऊपर और 25 लाख रुपए तक		25 लाख रुपए से ऊपर		कुल	
	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)
वैयक्तिक संघटन	415406	6404.91	43587	2946.23	16359	2481.52	6511	3439.09	481863	15271.75

ऋण राशि का समूह	5 लाख रुपए तक		5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक		10 लाख रुपए से ऊपर और 25 लाख रुपए तक		25 लाख रुपए से ऊपर		कुल	
संस्थावार आंकड़ा	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)
सूक्ष्म	7854215	22949.44	100243	7348.75	58489	9252.15	31861	19844.38	8044808	59394.72
लघु	263923	4507.43	60290	4398.67	48332	7880.68	54334	42873.58	426879	59660.36
मध्यम	245003	2086.43	9093	636.24	6733	1108.55	17694	29372.02	278523	33203.24

(दिनांक 28-02-2021 तक की स्थिति के अनुसार)

स्रोत : एनसीजीटीसी

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 433, जिसका उत्तर दिनांक 25.03.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

दिनांक 28.02.2021 तक की स्थिति के अनुसार आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत जारी की गई गारंटियों का राज्य-वार ब्यौरा

	5 लाख रु. तक		5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक		10 लाख रुपए से ऊपर और 25 लाख रुपए तक		25 लाख रुपए से ऊपर		कुल	
राज्य का नाम	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटी की संख्या	जारी की गई गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)
अंडमान और निकोबार	1672	22.33	123	9.42	78	12.71	78	50.74	1951	95.2
आंध्र प्रदेश	227377	1290.92	9571	702.96	6411	1035.12	5361	4880.57	248720	7909.57
अरुणाचल प्रदेश	1971	22.05	98	7.37	47	7.88	43	31.52	2159	68.82
असम	523723	1125.71	2418	172.87	1229	198.19	1305	965.33	528675	2462.1
बिहार	635256	1694.31	5144	366.7	2138	333.78	1399	1218.81	643937	3613.6
चंडीगढ़	4821	51.3	464	35.44	440	72.46	581	661.44	6306	820.64
छतीसगढ़	126393	647.46	4470	320.09	2873	460.29	2499	2344.69	136235	3772.53
दादरा और नगर हवेली	1695	16.08	130	9.07	77	12.13	126	175.16	2028	212.44
दमन और दीव	633	7.86	83	6.53	77	12.2	101	94.82	894	121.41
दिल्ली	67002	704.88	7005	518.83	6541	1070.35	8384	10589.65	88932	12883.71
गोवा	10397	86.63	481	35.69	348	55.9	384	463.27	11610	641.49
गुजरात	239500	1753.89	17124	1239.4	14298	2288.27	14007	14907.83	284929	20189.39
हरियाणा	131946	1061.73	9783	717.09	7101	1138.5	6540	7013.79	155370	9931.11
हिमाचल प्रदेश	43179	367.86	1380	101.1	708	114.4	770	828.9	46037	1412.26
जम्मू और कश्मीर	61281	669.97	2753	198.51	1647	258.72	936	742.6	66617	1869.8
झारखंड	231901	857.17	3965	279.81	1715	269.01	1260	1110.33	238841	2516.32
कर्नाटक	419329	1926.49	12155	887.87	8705	1408.03	8657	9961.55	448846	14183.94
केरल	382230	1217.39	7380	552.23	5428	881.81	5007	4699.07	400045	7350.5
लद्दाख	880	10.03	36	2.55	35	5.8	44	24.84	995	43.22
लक्षद्वीप	368	1.79							368	1.79
मध्य प्रदेश	356932	1650.02	8773	638.12	5457	865.84	4625	4091.04	375787	7245.02

महाराष्ट्र	743553	3198.36	22041	1604.22	16957	2732.04	19535	25394.92	802086	32929.54
मणिपुर	9628	39.83	202	14.33	92	14.35	59	43.17	9981	111.68
मेघालय	10758	49.44	164	11.87	81	12.8	80	78.15	11083	152.26
मिजोरम	3454	18.95	108	8.11	53	9.01	26	15.49	3641	51.56
नागालैंड	7031	23.68	87	6.34	35	5.92	34	21.16	7187	57.1
ओड़िशा	840505	1492.26	7448	518.94	2996	466.11	2116	1854.77	853065	4332.08
पुदुचेरी	10782	51.36	412	30.37	279	45.76	268	219.07	11741	346.56
पंजाब	168094	1053.52	9297	684.15	6110	970.97	4970	4561.87	188471	7270.51
राजस्थान	268550	1994.59	14537	1048.73	9751	1557.37	7973	6731.61	300811	11332.3
सिक्किम	8152	36.56	64	4.59	50	7.97	41	44.47	8307	93.59
तमिलनाडु	502518	2812.97	21782	1611.48	15588	2522.38	14996	15810.19	554884	22757.02
तेलंगाना	110536	1074.06	8383	606.47	5392	861.36	6034	6641.99	130345	9183.88
त्रिपुरा	60042	139.43	313	22.97	157	24.66	89	53.15	60601	240.21
उत्तर प्रदेश	614957	3272	15474	1131.74	9265	1486.23	8608	8192.68	648304	14082.65
उत्तराखंड	61384	411.7	1898	141.53	1285	211.05	1383	1173.63	65950	1937.91
पश्चिम बंगाल	1861047	3230.41	9078	652.62	5236	837.45	6352	7581.94	1881713	12302.42
कुल	**8749477**	**34084.99**	**204624**	**14900.11**	**138680**	**22266.82**	**134671**	**143274.21**	**9227452**	**214526.13**